



(30)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल गवालियर ₹मोरो

पृ. क्रं. निगरानी

/2012

R-3533-2/12

कलेक्टरीरेट शाजाहाबुर

श्रीगंगाड़

24 SEP. 2012

श्रीगंगाड़ / कलेक्टर

2980

दोष दर्शन आज

9-10-12

कलेक्टरीरेट शाजाहाबुर  
कलेक्टरीरेट शाजाहाबुरसईद खा पिता छोटूखा आयु 60 साल जाति  
जाति मुसलमान निवासी ग्राम पिपलिया नगर  
तहसील कालापिपल जिला शाजाहाबुर ₹मोरो

निगरानीकर्ता

विष्णु

जीवनतिह पिता गोपालसिंह आयु 40 साल  
जाति भानुमती निवासी ग्राम पिपलिया नगर  
तहसील कालापिपल जिला शाजाहाबुर ₹मोरो

पिपली

प्रथम निगरानी आवेदन पत्र अंगठी द्वारा

50 श.रा.सं. 1959 विष्णु न्यायालय -

तहसीलदार तहसील कालापिपल के प्रकरण क्रं.

21 अ 12 /2011- 2012 जीवनतिह पिपलिया

नगर चिक्क घोरो शासन में पार्श्व अंतिम

आदेश दिनांक 23/6/2012 से अलंकृत  
एवं दुखी होकर ।

माननीय महोदय ,

निगरानीकर्ता का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१। यह कि निगरानीकर्ता के पडौसी कृषक / पिपली द्वारा उसके

भूमि स्वामी स्वत्व आधिकार्य की कृषि भूमि बाता क्रमांक 34। कर्व 2011

2012 सर्वे क्रमांक 122/1/1 रक्खा 0.628 सर्वे नंबर 123/1 रक्खा

1.097, सर्वे नंबर 123/2 रक्खा 0.826 कुल 3 रक्खा 2.56। है लगानी

XXIX(a)-BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3533-एक/12

जिला - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	